

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION

1st Floor, near Estate Branch, Education Department

District North, Lucknow Road, Delhi - 110054

Ph: 23812072, 23810503, E-mail: spd_delhi@rediffmail.com

No.F SS/05/सी. डब्ल्यू.ए.एन.सर्व/2019/4/6583 - 6616

दिनांक:- 16/12/19

सेवा में,

उप -शिक्षा निदेशक/ जिला परियोजना अधिकारी

जिला - पूर्व, उत्तर -पूर्व , उत्तर, उत्तर -पश्चिम ,

पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम ,दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य।

विषय - शीतकालीन अवकाश (Winter Vacation) के दौरान रिसोर्स पर्सन (CWSN) से " स्कूल न जाने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने एवं पहले से पहचाने गये बच्चों की सूचनाओं को अपडेट करने से सम्बंधित कार्य कराने के सम्बन्ध में


महोदय/ महोदया

आपको अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा के अन्तर्गत सभी जिलों में कार्यरत रिसोर्स पर्सन (CWSN) एवं आवश्यकतानुसार संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) के परस्पर सहयोग से शीतकालीन अवकाश (दिनांक 28-12-2019 से दिनांक 15-01-2020 तक) के दौरान निम्नलिखित कार्य कराया जाना है -

- वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 में सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गये " स्कूल न जाने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सूची जो आनलाईन मॉड्यूल में उपलब्ध है इस सूची में दर्शाये गये बच्चों का आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन (Physical verification) कराने के पश्चात यथास्थिति (Actual Position) सम्बंधित सूचना जैसे -Wrong Address, Child Expired/ Death, The Child is above then 14 year of age, Child migrated to their place व Child Exit इत्यादि आनलाईन मॉड्यूल के Remarks कालम में अपडेट किया जायेगा।
- यदि भौतिक सत्यापन (Physical verification) के दौरान नये "स्कूल न जाने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों" की पहचान होती है तो ऐसे बच्चों की सूचनाओं को एकत्रित कर वर्ष 2019-20 के आनलाईन मॉड्यूल में भराई जायेगी ।
- सभी जिलों के जिला संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता(DURCC) द्वारा ही रिसोर्स पर्सन (CWSN) एवं आवश्यकतानुसार संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) को " स्कूल न जाने वाले विशिष्ट

आवश्यकता वाले बच्चों की "अपडेट कराने वाली सूची प्राप्त करायी जायेगी एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिले में कार्यरत रिसोर्स पर्सन (CWSN) को आदेश प्राप्त कराया जाये कि वे सम्बंधित जिले के जिला संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता(DURCC) से शीतकालीन अवकाश प्रारम्भ होने से पहले सम्पर्क करेंगे। शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के पश्चात सभी रिसोर्स पर्सन (CWSN) अपने नामित स्कूलों में समयानुसार उपस्थित होकर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक व उपचारात्मक सेवायें प्राप्त करायेंगे।




अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
समग्र शिक्षा, दिल्ली

No.F SS/05/सी. डब्ल्यू.एन.एन.सर्वे/2019/4/65 83-6616

दिनांक:- 16/12/19

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ/कार्यवाही हेतु -

1. निदेशक (शिक्षा) पूर्वी नगर निगम दिल्ली, प्लॉट नंबर 1824, उद्योग सदन पड़पड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) उत्तरी नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
3. निदेशक (शिक्षा) दक्षिण नगर निगम दिल्ली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग नई दिल्ली
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली
5. उप-शिक्षा निदेशक (IE-B) कार्यालय, अमृता शेरगिल स्कूल बिल्डिंग के पीछे, लाजपत नगर, दिल्ली
6. सचिव (शिक्षा)/अध्यक्ष समग्र शिक्षा के निजी सचिव, पुराना सचिवालय, दिल्ली
7. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक, समग्र शिक्षा तिमारपुर, दिल्ली
8. वित्त एवं लेखा अधिकारी /सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी जिला - पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य।
9. जिला संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता(DURCC) जिला - पूर्व, उत्तर-पूर्व, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य से अनुरोध है कि अपने जिले के रिसोर्स पर्सन (CWSN) एवं आवश्यकतानुसार संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता (CRCC) को उक्त सन्दर्भ में सूचित कराये।
10. अनुभाग अधिकारी (सूचना तकनीकी) से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर इसे अपलोड कराये।



अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)
समग्र शिक्षा, दिल्ली